[1990] 2 उम० नि० प० 872

आई० जे० राव, सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर और अन्य

बनाम

विभूति भूषण बाग और एक अन्य

12 मई, 1989

मु० न्या० आर० एस० पाठक, न्या० ई० एस० वेंकटरामय्या, रंगनाथ मिश्र, एम० एच० कानिया और एम० एन० वेंकटचलय्या

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) — धारा 110 (2) और 324 (क) — जिस व्यक्ति के कब्जे से माल अभिगृहीत किया गया हो वह धारा 110 (2) में वर्णित 6 मास की मूल कालावधि में विस्तार करने के लिए सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष प्रस्थापना संबंधी नोटिस का हकदार है—वह ऐसी प्रस्थापना की बाबत सुने जाने का भी हकदार है, किंतु यह अन्वेषण कार्यवाहियों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता के संबंध में निर्बंधनों के अध्यधीन होगा।

5 मई, 1966 को किसी समाचारपत्र में एक ऐसी विज्ञप्ति का अवलोकन करके, जिसमें कि आयातित मैनुअल और वैद्युत् टाइपराइटर, संकलन तथा परिकलन मशीनों की पेशकश की गई थी, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उसी दिन मैसर्स टाइपराइटर्स एंड स्टेशनरी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के परिसरों में छापा मारा और पंद्रह टाइपराइटर, संकलन और परिकलन मशीनें बरामद कीं। ये मशीनें आर० एन० बाग द्वारा उक्त कंपनी को बेच दी गई थीं और उस कंपनी ने यह बताया कि श्री बाग ने उन्हें कतिपय जलयानों के नाविक दलों से खरीदा था। 7 मई, 1966 को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मैसर्स सेंट्रल टाइपराइटर कंपनी के निवास स्थान और कारबार परिसरों की तलाशी ली और अनेक टाइपराइटर तथा संकलन और परिकलन मशीनें बरामद कीं। छापे के दौरान अभिगृहीत कतिपय दस्तावेजों से और अभिलिखित किए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्यर्थियों और कतिपय जलयान के कर्मीदल में से कुछ सदस्यों के बीच एक षडयंत्र हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि प्रत्यर्थी भारतीय कर्मीदल के सदस्यों के कुटुम्बों की देखभाल और भरण-पोषण करेंगे जबकि वे विदेश में होंगे, उन्हें धन अग्रिम के रूप में देंगे और कर्मीदल के सदस्य विदेश में अपनी मजदूरी विदेशी मुद्रा में लेंगे तथा उस धन से पुराने (सेकेंड हैंड) टाइपराइटर, संकलन और परिकलन मशीनें खरीदेंगे तथा फिर उन्हें भारत लाएंगे और आयात व्यापार नियंत्रण विनियम के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों से बचने के लिए माल नियमों में उपबंधित रियायतों के अधीन निकासी कराने के पश्चात् उन्हें प्रत्यर्थियों को परिदत्त कर देंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्ष 1961 और 1965 की कालावधि के दौरान लगभग 200 टाइपराइटर, संकलन और परिकलन मशीनें प्रत्यर्थियों द्वारा लगभग एक लाख रुपये की रकम के प्रतिदाय पर अर्जित कर ली गई थीं और उनमें से 46 मशीनें बेच दी गई थीं। माल का अभिग्रहण 5/7 मई, 1966 को किया गया था और उस तारीख से 6 मास के भीतर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 (क) के अधीन नोटिस जारी किए

जाने थे। इसी बीच सीमा-शुल्क विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों ने सीमा-शुल्क अपर कलक्टर को (जिसे अधिनियम के अधीन वही शक्तियां प्राप्त हैं जो कि कलक्टर को होती हैं) कारण बताओ नोटिस की तामील करने के समय में विस्तार मंजूर करने के वास्ते हेतुक दर्शित किया। 3 नवंबर, 1966 को अपर कलक्टर ने सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (2) के उपबंध के निबंधनों के अनुसार 6 मास के अतिरिक्त समय का विस्तार मंजूर कर दिया। 6 दिसंबर, 1966 को सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर ने प्रत्येक प्रत्यर्थी पर यह अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील की कि वह इस बात का कारण बताए कि भला उक्त अभिगृहीत मशीनों को क्यों न आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 3 (2) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (घ) और धारा 111 (ण) के अधीन अभिगृहीत न कर लिया जाए और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अधीन प्रत्यर्थियों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई क्यों न की जाए। 18 अप्रैल, 1967 को प्रत्यर्थियों ने कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की जिसमें मशीनों के अभिग्रहण सहित सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाहियों पर आक्षेप किया गया। 11 दिसंबर, 1968 को उच्च न्यायालय के एकल विद्वान् न्यायाधीश ने अपीलार्थियों की इस दलील को रद्द कर दिया कि कार्यवाही प्रशासनिक प्रकृति की थी और यह अभिनिर्धारित किया कि सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 110 (2) के अधीन विस्तार किए जाने संबंधी आदेश एक न्यायिककल्प आदेश था और चूंकि यह आदेश एकपक्षीय रूप से दिया गया था और माल के स्वामी को नोटिस नहीं दिया गया था इसलिए यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भंग करता था और इस कारण विधिशून्य था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि इसके अतिरिक्त चूंकि आदेश अभिग्रहण की तारीख से 6 मास की समाप्ति से पूर्व प्रत्यर्थियों को संसूचित नहीं किया गया था इसलिए विस्तारण संबंधी आदेश अविधिमान्य था और प्रत्यर्थी अधिकारवशात् माल के लौटाए जाने के हकदार बन गए थे। उक्त रिट याचिका मंजूर कर ली गई और अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाहियां विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 11 दिसंबर, 1969 वाले निर्णय और आदेश के द्वारा अभिखंडित कर दी गईं। अपीलार्थियों ने अपीलीय न्यायपीठ के समक्ष अपील की और उच्च न्यायालय की अपीलीय न्यायपीठ ने तारीख 31 जुलाई, 1970 वाले निर्णय द्वारा अपील को भागत: मंजूर कर लिया तथा तारीख 3 नवंबर, 1966 के विस्तारण संबंधी आदेश को अभिखंडित कर दिया और अपीलार्थियों को यह निदेश दिया कि वे प्रत्यर्थियों से अभिगृहीत की गई मशीनों और दस्तावेजों को लौटा दें। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को इस बारे में भी अनुज्ञात किया गया कि वे प्रत्यर्थियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियों को प्रारंभ करके परिपूर्ण करें जिन्हें लाने की उन्हें विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता थी। अब अपीलार्थियों ने उच्चतम न्यायालय में वहां तक जहां तक कि अपील न्यायपीठ का निर्णय और आदेश उनके विरुद्ध अग्रसर होता है अपील की है। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम की धारा 110 (2) के परंतुक में 'पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर' शब्दों से यह उपदर्शित होता है कि सीमा-शुल्क कलक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह इस मुद्दे पर स्वयं विचार करे कि क्या 6 मास की कालावधि के लिए विस्तार करने हेतु मामला बनता है। यहां जो परिकल्पित किया गया वह यह है कि मामले पर निरपेक्ष रूप से विचार किया जाए और विस्तार के लिए निवेदन को

न्यायोचित ठहराने के लिए उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् ही विनिश्चय दिया जाए। संबद्ध सीमा-शुल्क अधिकारी, जो कि विस्तार की ईप्सा करता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह यह दर्शित करे कि ऐसे विस्तार की ईप्सा करने के लिए साधारण कारण विद्यमान है और इस निमित्त वह अधिसंभाव्यत: यह साबित करना चाहेगा कि अन्वेषण परिपूर्ण नहीं हुआ है और यह नहीं कहा जा सकता कि क्या माल को अभिगृहीत करने संबंधी अंतिम आदेश जारी किया जाना चाहिए अथवा नहीं। चूंकि अन्वेषण किए जाने के लिए अतिरिक्त समय अध्यपेक्षित है, इसलिए वह समय में विस्तार हेतु आवेदन करता है। यह आवश्यक है कि कलक्टर का समाधान हो जाए कि अन्वेषण का अनुसरण गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है और यह कि उसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या माल के प्रतिस्थापन का दावा करने वाला व्यक्ति समय में विस्तार किए जाने से पूर्व नोटिस का हकदार है। नोटिस संबंधी अधिकार मात्र इस परिस्थिति से उद्भूत नहीं होता है कि न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही की जा रही है बल्कि वस्तुत: यह उस आधारभूत कारण से भी परे है जो कि कार्यवाही को उसकी प्रकृति प्रदान करता है और वह कारण यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है और यदि उसे कार्यवाही में अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता तो उस अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि धारा 110 (2) में यह अनुध्यात है कि या तो नोटिस (अभिगृहीत किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर) उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से कि माल अभिगृहीत किया गया है इस बात का अवधारण करने के लिए जारी किया जाए कि क्या माल उस कालावधि की समाप्ति पर ऐसे व्यक्ति से अधिहृत किया जाना चाहिए अथवा उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि अधिहरण कार्यवाहियों में अभिगृहीत किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति से जिससे कि माल का कब्जा अभिगृहीत किया गया है वह तुरंत माल के वापस किए जाने का हकदार हो जाता है। यह अभिगृहीत किए जाने की तारीख से 6 मास के समाप्त हो जाने पर माल के तुरंत वापस किए जाने संबंधी अधिकार है जो कि धारा 110 (2) के परंतुक के अधीन समय में विस्तार किए जाने से निष्फल हो जाता है। प्रस्तुत मामले में, एक संभाव्यता यह है कि जिस व्यक्ति के कब्जे से माल अभिगृहीत किया गया है भले ही वह माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और मार्केट में उस समय प्रचलित जटिल अवस्थाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह साबित करना चाहे कि तुरंत कब्जा प्राप्त किया जाना आवश्यक है अथवा इस बात पर ध्यान देते हुए कि माल इस प्रकार के हैं कि वे किसी वाणिज्यिक अथवा प्राइवेट आवश्यकता के संबंध में किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अविलंब अध्यपेक्षित हैं और यह कि यदि उन्हें वापस किए जाने में कोई विलंब किया जाता है तो उससे या तो उस व्यक्ति की बाबत कतिपय विशेष परिस्थिति के कारण या माल के परिरक्षण के लिए अध्यपेक्षा के गुण-विशेष के कारण तात्विक नुकसानी या क्षति या कठिनाई कारित होगी। किंतु इस बात को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा कि क्या अन्वेषण का प्रक्रम ऐसा है और आगे अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है जिनके कारण समय में विस्तार किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। यह सोचना असंभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में से माल इस दृष्टिकोण से अभिगृहीत किए गए हैं कि उन्हें अधिहृत कर लिया जाएगा वह इस बात को जानने का हकदार होगा और

इस बारे में प्रबोधन करेगा कि उसके विरुद्ध अन्वेषण किस रूप में अग्रसर हो रहा है, उस प्रक्रम पर उसके विरुद्ध कौन-सी सामग्री संगृहीत हो गई है तथा उक्त अन्वेषण का आगे अनुसरण करने की क्या उपयोगिता है। यह गोपनीय प्रकृति के विषय हैं जिनका ज्ञान प्राप्त करने का ऐसा व्यक्ति केवल तभी हकदार होगा जब अन्वेषण पूरा हो जाएगा और इस बारे में विनिश्चय कर लिया जाएगा कि ऐसा नोटिस जारी किया जाए कि वह इस बात का कारण दर्शित करे कि माल अधिहृत क्यों न कर लिए जाएं। किसी भी व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध मामले में संगृहीत सामग्री के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार प्राप्य नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप, जबकि ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि वह इस बात का हेतुक दर्शित करेगा कि समय में क्यों विस्तार न किया जाए, वह उस अन्वेषण संबंधी सूचना का हकदार नहीं होता जो कि किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी ऐसे व्यक्ति का अधिकार जिसके कब्जे में से माल अभिगृहीत किए गए हों, प्रस्थापित विस्तार संबंधी नोटिस का अधिकार स्वीकृत किया जाना आवश्यक है, किंतु ऐसे नोटिस के दिए जाने पर उसे जिस अवसर की स्वतंत्रता है उसका विस्तार ऐसी जानकारी पर्यन्त नहीं किया जा सकता जिसका संबंध अन्वेषण की प्रकृति और अनुक्रम से हो। ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है जिसके कब्जे में से माल अभिगृहीत किए गए हैं जिससे यह प्रस्थापना की जा सके कि 6 मास की कालावधि में विस्तार किया जाना चाहिए। प्रसामान्य अनुक्रम में, ऐसे व्यक्ति को नोटिस निश्चित रूप से 6 मास का मूल कालावधि की समाप्ति से पूर्व मिल जाना चाहिए। यह सही है कि 6 मास की अतिरिक्त कालावधि, जिसके बारे में यह अनुध्यात है कि वह विस्तार की अधिकतम कालावधि होगी एक संक्षिप्त कालावधि है, किंतु संसद् ने केवल 6 मास की मूल कालावधि अनुध्यात की है और जब उसने ऐसी कालावधि नियत कर दी है तो यह उपधारणा की जाना आवश्यक है कि उसने इस बात को ध्यान में रखा होगा कि माल के अतिरिक्त समय के लिए अवरोध से उस व्यक्ति को नुकसानी या क्षति या कठिनाई हो सकती है जिसके कब्जे में से कि माल अभिगृहीत किया गया था। (पैरा 13)

जिस व्यक्ति के कब्जे से माल अभिगृहीत किया गया है वह सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 110 (2) में वर्णित 6 मास की मूल कालावधि में विस्तार किए जाने के लिए सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष प्रस्थापना संबंधी नोटिस का हकदार है और वह इस बात का भी हकदार है कि ऐसी प्रस्थापना के बारे में उसकी सुनवाई की जाए किंतु यह इस बात के अधीन रहते हुए कि अन्वेषण कार्यवाहियों के संबंध में गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता के बारे में पहले निर्दिष्ट निर्बंधन बने रहेंगे। (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1981]	[1981] ई० एल० टी० 268 : **करसनदास पपटलाल धनेजा और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य;**	15
[1974]	[1974] 2 एस० सी० आर० 199 : **मैसर्स लोक नाथ तोला राम और अन्य बनाम बी० एन० रंगवानी और अन्य;**	11

[1971] [1971] 3 एस० सी० आर० 802 :
सीमाशुल्क सहायक कलक्टर बनाम चरण दास मल्होत्रा; 10

[1970] ए० आई० आर० 1970 कलकत्ता 134 :
शेख मोहम्मद सैयद बनाम असिस्टेंट कलक्टर आफ कस्टम्स फार प्रिवेंटिव और अन्य; 15

[1968] ए० आई० आर० 1968 मैसूर 89 :
गणेशमल चन्नीलाल गांधी और एक अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर और सहायक कलक्टर, बंगलौर. 15

सिविल अपीली अधिकारिता : 1971 की सिविल अपील सं० 1529.

1969 की अपील सं० 29 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के तारीख 31 जुलाई, 1970 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री जी० रामस्वामी, ए० के० गांगुली, पी० परमेश्वरन और ए० के० श्रीवास्तव

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री डी० एन० मुखर्जी और पी० के० घोष

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक ने दिया ।

मु० न्या० पाठक—कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर यह अपील उक्त उच्च न्यायालय के तारीख 31 जुलाई, 1970 वाले उस निर्णय के विरुद्ध की गई है जिसमें कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाहियों से उद्भूत रिट याचिका भागत: मंजूर की गई थी ।

2. 5 मई, 1966 को किसी समाचारपत्र में एक ऐसी विज्ञप्ति का अवलोकन करके जिसमें कि आयातित मैनुअल और वैद्युत टाइपराइटर, संकलन तथा परिकलन मशीनों की पेशकश की गई थी, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उसी दिन मैसर्स टाइपराइटर्स एंड स्टेशनरी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के परिसरों में छापा मारा और पन्द्रह टाइपराइटर, संकलन और परिकलन मशीनें बरामद कीं । ये मशीनें आर० एन० बाग द्वारा उक्त कंपनी को बेच दी गई थीं और उस कंपनी ने यह बताया कि श्री बाग ने उन्हें कतिपय जलयानों के नाविक दलों से खरीदा था । 7 मई, 1966 को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मैसर्स सैन्ट्रल टाइपराइटर कंपनी के निवास स्थान और कारबार परिसरों की तलाशी ली और अनेक टाइपराइटर तथा संकलन और परिकलन मशीनें बरामद कीं । छापे के दौरान अभिगृहीत कतिपय दस्तावेजों से और अभिलिखित किए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्यर्थियों और कतिपय जलयान के कर्मीदल में से कुछ सदस्यों के बीच एक षडयंत्र हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि प्रत्यर्थी भारतीय कर्मीदल के सदस्यों के कुटुम्बों की देखभाल और भरण-पोषण करेंगे जब कि वे विदेश में होंगे, उन्हें धन अग्रिम के रूप में देंगे और कर्मीदल के सदस्य विदेश में अपनी मजदूरी विदेशी मुद्रा में लेंगे तथा उस धन से पुराने (सेकेन्ड हैण्ड) टाइपराइटर, संकलन और परिकलन मशीनें खरीदेंगे तथा फिर उन्हें भारत लाएंगे और आयात व्यापार नियंत्रण विनियम

के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों से बचने के लिए माल नियमों में उपबंधित रियायतों के अधीन निकासी कराने के पश्चात् उन्हें प्रत्यर्थियों को परिदत्त कर देंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्ष 1961 और 1965 की कालावधि के दौरान लगभग 200 टाइपराइटर, संकलन और परिकलन मशीनें प्रत्यर्थियों द्वारा लगभग एक लाख रुपये की रकम के परिदाय पर अर्जित कर ली गई थीं और उनमे से 46 मशीनें बेच दी गई थीं।

3. माल का अभिग्रहण 5/7 मई, 1966 को किया गया था और उस तारीख से 6 मास के भीतर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124(क) के अधीन नोटिस जारी किए जाने थे। इसी बीच सीमा-शुल्क विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों ने सीमा-शुल्क अपर कलक्टर को (जिसे अधिनियम के अधीन वही शक्तियां प्राप्त हैं जो कि कलक्टर को होती हैं) कारण बताओ नोटिस की तामील करने के लिए समय में विस्तार मंजूर करने के वास्ते हेतुक दर्शित किया। 3 नवंबर, 1966 को अपर कलक्टर ने सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (2) के उपबंध के निबंधनों के अनुसार 6 मास के अतिरिक्त समय का विस्तार मंजूर कर दिया।

4. 6 दिसंबर, 1966 को सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर ने प्रत्येक प्रत्यर्थी पर यह अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील की कि वह इस बात का कारण बताए कि भला उक्त अभिगृहीत मशीनों को क्यों न आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 की धारा 3 (2) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (घ) और धारा 111 (ण) के अधीन अभिगृहीत न कर लिया जाए और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अधीन प्रत्यर्थियों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई क्यों न की जाए।

5. 18 अप्रैल, 1967 को प्रत्यर्थियों ने कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की जिसमें मशीनों के अभिग्रहण सहित सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाहियों पर आक्षेप किया गया। 11 दिसंबर, 1968 को उच्च न्यायालय के एकल विद्वान् न्यायाधीश ने अपीलार्थियों की इस दलील को रद्द कर दिया कि कार्यवाही प्रशासनिक प्रकृति की थी और यह अभिनिर्धारित किया कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 (2) के अधीन विस्तार किए जाने संबंधी आदेश एक न्यायिककल्प आदेश था और चूंकि यह आदेश एकपक्षीय रूप से दिया गया था और माल के स्वामी को नोटिस नहीं दिया गया था इसलिए यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भंग करता था और इस कारण विधिशून्य था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि इसके अतिरिक्त चूंकि आदेश अभिग्रहण की तारीख से 6 माह की समाप्ति से पूर्व प्रत्यर्थियों को संसूचित नहीं किया गया था इसलिए विस्तारण संबंधी आदेश अविधिमान्य था और प्रत्यर्थी अधिकारवशात् माल के लौटाए जाने के हकदार बन गये थे। उक्त रिट याचिका मंजूर कर ली गई और अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाहियां विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 11 दिसंबर, 1969 वाले निर्णय और आदेश के द्वारा अभिखंडित कर दी गई।

6. अपीलार्थियों ने अपील न्यायपीठ के समक्ष अपील की और उच्च न्यायालय की अपील न्यायपीठ ने तारीख 31 जुलाई, 1970 वाले निर्णय द्वारा अपील को भागतः मंजूर कर लिया तथा तारीख 3 नवंबर, 1966 के विस्तारण संबंधी आदेश को अभिखंडित कर दिया और अपीलार्थियों को यह निदेश दिया कि वे प्रत्यर्थियों से अभिगृहीत की गई मशीनों

और दस्तावेजों को लौटा दें। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को इस बारे में भी अनुज्ञात किया गया कि वे प्रत्यर्थियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियों को प्रारंभ करके परिपूर्ण करें जिन्हें चलाने की उन्हें विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता थी।

7. अब अपीलार्थियों ने इस न्यायालय में वहां तक जहाँ तक कि अपील न्यायपीठ का निर्णय और आदेश उनके विरुद्ध अग्रसर होता है, अपील की है।

8. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (1) में यह उपबंध किया गया है कि यदि समुचित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई माल उक्त अधिनियम के अधीन अधिहृत किए जाने के दायित्वाधीन है तो वह ऐसे माल को अभिगृहीत कर सकता है। धारा 110 (2) में यह उपबंध किया गया है—

> "जहां कोई माल उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किए जाते हैं और माल के अभिग्रहण से 6 मास के अंदर धारा 124 के खंड (क) के अधीन उनकी बाबत कोई सूचना नहीं दी जाती है, वहां माल उस व्यक्ति को वापस किए जाएंगे जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :
>
> परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर, सीमा-शुल्क कलक्टर 6 मास की पूर्वोक्त अवधि को 6 मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है।"

धारा 124 (क) में, जिसके प्रति धारा 110 (2) में निर्देश किया गया है, यह उपबंध किया गया है कि अध्याय 14 के अधीन किसी माल का अधिहरण करने वाला या किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि माल के स्वामी या ऐसे व्यक्ति को उन आधारों की लिखित जानकारी देते हुए जिन पर माल को अधिहरण करने की या शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, सूचना न दे दी जाए और उसमें उल्लिखित अधिहरण या शास्ति अधिरोपित करने के आधार के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के अन्दर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया जाए और मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

9. यह स्पष्ट है कि अधिहरण किए जा सकने वाले माल धारा 110 (1) के आधार से अभिगृहीत किए जा सकते हैं किंतु यह कि वे माल माल के स्वामी अथवा उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित की जानी हो, नोटिस दिए बिना, अभ्यावेदन का अवसर दिए बिना और सुनवाई किए बिना अधिहृत नहीं किए जा सकते और न ही उन पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। यह नोटिस अधिनियम की धारा 110 (2) द्वारा यथा प्रकल्पित माल के अभिगृहीत किए जाने से 6 मास के भीतर दे दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो माल उस व्यक्ति को लौटा दिए जाने चाहिएं जिससे कि माल अभिगृहीत किए गए थे। अधिनियम की धारा 110 (2) के परंतुक में यह अनुज्ञात किया गया है कि 6 मास की कालावधि का विस्तार सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा तन्निमित उसे दर्शित किए गए पर्याप्त हेतुक पर अनधिक 6 मास की कालावधि के लिए किया जा सकता है।

10. उच्च न्यायालय की अपील न्यायपीठ की यह राय है कि **सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर बनाम चरण दास मल्होत्रा**[1] में सही विधि अधिकथित की गई है और वह इस मामले

[1] [1971] 3 एस० सी० आर० 802.

के तथ्यों को लागू होती है, यह कि सीमा-शुल्क कलक्टर पर यह कर्तव्य अधिरोपित है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 110 (2) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायिक रूप से कार्य करे और इसलिए यह चाहिए कि नोटिस माल के स्वामी को उक्त परंतुक के अधीन विस्तार के आदिष्ट किये जाने से पूर्व दे दिया जाए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विस्तार संबंधी आदेश स्वामी को संसूचित कर दिया जाना चाहिए था और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था इसलिए आदेश निष्प्रभावी था।

11. जब यह अपील इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा **चरण दास मल्होत्रा**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया था। वह विनिश्चय इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायधीशों ने दिया था। **मैसर्स लोक नाथ तोला राम और अन्य** बनाम **बी० एन० रंगवानी और अन्य**[2] वाले मामले के प्रति भी, जो कि इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों द्वारा दिया गया विनिश्चय था, निर्देश किया गया था और उक्त मामले में **चरण दास मल्होत्रा**[1] वाले मामले के प्रति भी निर्देश विद्यमान था। इस अपील की सुनवाई करने वाले विद्वान् न्यायाधीशों की यह राय थी कि इन दोनों मामलों में जो दृष्टिकोण अपनाया गया था उस पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित था और इसलिए यह अपील इस प्रश्न पर विनिश्चय के लिए किसी बृहत्तर न्यायपीठ के प्रति निर्दिष्ट की जानी थी कि क्या कलक्टर उन व्यक्तियों के नाम नोटिस जारी करने के लिए आबद्ध है जिनके कब्जे से कि माल अभिगृहीत किए गए थे और उस मुद्दे पर अपना अभ्यावेदन करने के लिए उसे अवसर प्रदान करना होगा चाहे उक्त अधिनियम की धारा 124 (क) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए समय में 6 मास से अधिक का विस्तार किया जाना चाहिए।

12. **चरणदास मल्होत्रा**[1] वाले मामले में न्यायालय ने इस प्रतिफल के प्रति निर्देश किया कि धारा 110(1) के अधीन अभिग्रहण संबद्ध अधिकारी के 'युक्तियुक्त विश्वास' मात्र पर प्राधिकृत किया जा सकता था, यह कि यह एक असाधारण शक्ति थी और इसलिए संसद् ने इस बारे में जांच को पूरा किए जाने के लिए कि क्या माल अधिहृत किए जाने चाहिएं या नहीं और यह कि यदि जांच उक्त कालावधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती तो माल वापस करने होंगे, अभिग्रहण की तारीख से 6 मास की कालावधि प्रकल्पित की थी। कुछ मामलों में यह संभव है कि जांच में 6 मास से अधिक समय अध्यपेक्षित हो और तदनुसार कलक्टर को यह शक्ति प्रदत्त की गई थी क्योंकि वह पंक्ति में एक वरिष्ठ अधिकारी है और इसके अलावा धारा 128 के अधीन अपील प्राधिकारी भी है, कि वह दो शर्तों के अधीन रहते हुए समय में विस्तार करे, एक तो यह कि ऐसा विस्तार एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए न हो और दूसरा यह कि ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि कलक्टर से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि वह यंत्रवत् अथवा साधारण रूप से ही विस्तार की प्रस्थापना करे बल्कि यह विस्तार केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो यह उपदर्शित करते हैं कि धारा 110 (2) में उपबंधित समय के भीतर सद्भावपूर्वक

---

[1] [1971] 3 एस० सी० आर० 802

[2] [1974] 2 एस० सी० आर० 199.

कारणोंवश अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सका था और यह कि इसलिए कालावधि में विस्तार आवश्यक हो गया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कलक्टर समय में तब तक विस्तार नहीं कर सकता जब तक कि उसके समक्ष रखे गए तथ्यों के आधार पर उसका समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे विस्तार की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हेतुक विद्यमान है, और ऐसी दशा में सबूत का भार स्पष्टतया विस्तार के लिए आवेदन देने वाले सीमा-शुल्क अधिकारियों पर होगा कि वे यह दर्शित करें कि ऐसा विस्तार आवश्यक था। इन विचार्य विषयों को अभिलिखित करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि 'पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाना' शब्दों से कलक्टर द्वारा मामले की निरपेक्ष परीक्षा को जाना अध्यपेक्षित है। यह बताया गया कि साधारणतया अभिगृहीत किए जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के समाप्त होने पर माल का स्वामी अधिकारवशात् अभिगृहीत माल के वापस किए जाने का हकदार होगा और उस अधिकार को ऐसा नोटिस जारी किए बिना कि विस्तार किया जाना प्रस्थापित था विफल नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने इस दलील को नामंजूर कर दिया कि यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो अन्वेषण को जारी रखना संकटापन्न हो जाएगा। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 110(2) के परंतुक के अधीन शक्ति न्यायिक शक्ति थी और चाहे जो भी हो वह ऐसी शक्ति थी जिसमें न्यायिक प्रवृत्ति अध्यपेक्षित थी और परिणामस्वरूप वह व्यक्ति जिससे कि माल अभिगृहीत किए गए थे धारा 110(2) द्वारा परिकल्पित 6 मास की कालावधि में विस्तार किए जाने से पूर्व नोटिस का हकदार था। इस मुद्दे पर पुनः **मैसर्स लोकनाथ तोलाराम और अन्य** बनाम **बी० एन० रंगवानी और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा विचार किया गया था और न्यायालय ने **चरण दास मल्होत्रा**[2] वाले मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण के प्रति निर्देश किया था किंतु उसने इस कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि क्योंकि उस मामले में स्वयं अपीलार्थियों ने समय में विस्तार किए जाने संबंधी नोटिस जारी करने का अधित्यजन कर दिया था। न्यायालय ने विनिर्दिष्ट रूप से **चरणदास मल्होत्रा**[2] वाले मामले में अधिकथित विधि का स्पष्ट रूप से अनुमोदन नहीं किया था।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम की धारा 110(2) के परंतुक में 'पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर' शब्दों से यह उपदर्शित होता है कि सीमा-शुल्क कलक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह इस मुद्दे पर स्वयं विचार करे कि क्या 6 मास की कालावधि के लिए विस्तार करने हेतु मामला बनता है। यहां जो परिकल्पित किया गया है वह यह है कि मामले पर निरपेक्ष रूप से विचार किया जाए और विस्तार के लिए निवेदन को न्यायोचित ठहराने के लिए उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् ही विनिश्चय दिया जाए। संबद्ध सीमा-शुल्क अधिकारी जो कि विस्तार की ईप्सा करता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह यह दर्शित करे कि ऐसे विस्तार की ईप्सा करने के लिए साधारण कारण विद्यमान है और इस निमित्त वह अधिसंभाव्यतः यह साबित करना चाहेगा कि अन्वेषण परिपूर्ण नहीं हुआ है और यह नहीं कहा जा सकता कि क्या माल को अभिगृहीत करने संबंधी

[1] [1974] 2 एस० सी० आर० 199.
[2] [1971] 3 एस० सी० आर० 802.

अंतिम आदेश जारी किया जाना चाहिए अथवा नहीं। चूंकि अन्वेषण किए जाने के लिए अतिरिक्त समय अध्यपेक्षित है इसलिए वह समय में विस्तार हेतु आवेदन करता है। यह आवश्यक है कि कलक्टर का समाधान हो जाए कि अन्वेषण का अनुसरण गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है और यह कि उसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या माल के प्रतिस्थापन का दावा करने वाला व्यक्ति समय में विस्तार किए जाने से पूर्व नोटिस का हकदार है। नोटिस संबंधी अधिकार मात्र इस परिस्थिति से उद्भूत नहीं होता है कि न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही की जा रही है बल्कि वस्तुत: यह उस आधारभूत कारण से भी परे है जो कि कार्यवाही को उसकी प्रकृति प्रदान करता है और वह कारण यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है और यदि उसे कार्यवाही में अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता तो उस अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, विवाद्यक यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे से माल अभिगृहीत किया जाता है और जिसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा वह संकटापन्न स्थिति में पड़ सकता है जब तक कि उसके मामले की सुनवाई नहीं कर ली जाती। इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि धारा 110(2) में यह अनुध्यात है कि या तो नोटिस (अभिगृहीत किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर) उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से कि माल अभिगृहीत किया गया है इस बात का अवधारण करने के लिए जारी किया जाए कि क्या माल उस कालावधि की समाप्ति पर ऐसे व्यक्ति से अधिहृत किया जाना चाहिए अथवा उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। यदि अधिहरण कार्यवाहियों में अभिहृत किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति से जिससे कि माल का कब्जा अभिगृहीत किया गया है वह तुरंत माल के वापस किए जाने का हकदार हो जाता है। यह अभिगृहीत किए जाने की तारीख से 5 मास के समाप्त हो जाने पर माल के तुरंत वापस किए जाने संबंधी अधिकार है जो कि धारा 110(2) के परंतुक के अधीन समय में विस्तार किए जाने से निष्फल हो जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के अधिकार के बारे में यह कहते हैं कि उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा वह संकटापन्न हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से उस अधिकार के संबंध में किंचित् नुकसानी या क्षति या कठिनाई की परिकल्पना करते हैं और ऐसी नुकसानी या क्षति या कठिनाई की प्रकृति की जांच करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी मामले में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुभूत की जाने वाली नुकसानी या क्षति या कठिनाई की आशंका उपदर्शित की जानी चाहिए। प्रस्तुत मामले में एक संभाव्यता यह है कि जिस व्यक्ति के कब्जे से माल अभिगृहीत किया गया है भले ही वह माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और मार्केट में उस समय प्रचलित जटिल अवस्थाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह साबित करना चाहे कि तुरंत कब्जा प्राप्त किया जाना आवश्यक है अथवा इस बात पर ध्यान देते हुए कि माल इस प्रकार के हैं कि वे किसी वाणिज्यिक अथवा प्राइवेट आवश्यकता के संबंध में किसी आपतकालीन स्थिति से निपटने के लिए अविलंब अध्यपेक्षित हैं और यह कि यदि उन्हें वापस किए जाने में कोई विलंब किया जाता है तो उससे या तो उस व्यक्ति की बाबत कतिपय विशेष परिस्थिति के कारण या माल के परिरक्षण के लिए अध्यपेक्षा के गुण विशेष के कारण तात्विक नुकसानी या क्षति या कठिनाई कारित होगी। किंतु इस बात को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा कि क्या अन्वेषण का प्रक्रम ऐसा है और आगे अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है जिनके कारण समय

में विस्तार किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। यह सोचना असंभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में से माल इस दृष्टिकोण से अभिगृहीत किए गए हैं कि उन्हें अधिहृत कर लिया जाएगा वह इस बात को जानने का हकदार होगा और इस बारे में प्रबोधन करेगा कि उसके विरुद्ध अन्वेषण किस रूप में अग्रसर हो रहा है, उस प्रक्रम पर उसके विरुद्ध कौन-सी सामग्री संगृहीत की गई है तथा उक्त अन्वेषण का आगे अनुसरण करने की क्या उपयोगिता है। ये गोपनीय प्रकृति के विषय हैं जिनका ज्ञान प्राप्त करने का ऐसा व्यक्ति केवल तभी हकदार होगा जब अन्वेषण पूरा हो जाएगा और इस बारे में विनिश्चय कर लिया जाएगा कि ऐसा नोटिस जारी किया जाए कि वह इस बात का कारण दर्शित करे कि माल अधिहृत क्यों न कर लिए जाएं। किसी भी व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध मामले में संगृहीत सामग्री के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार प्राप्य नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप जबकि ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि वह इस बात का हेतुक दर्शित करे कि समय में क्यों विस्तार न किया जाए, वह उस अन्वेषण संबंधी सूचना का हकदार नहीं होता जो कि किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में किसी ऐसे व्यक्ति का अधिकार जिसके कब्जे में से माल अभिगृहीत किए गए हों प्रस्थापित विस्तार संबंधी नोटिस का अधिकार स्वीकृत किया जाना आवश्यक है किंतु ऐसे नोटिस के दिए जाने पर उसे जिस अवसर की स्वतंत्रता है उसका विस्तार ऐसी जानकारी पर्यंत नहीं किया जा सकता जिसका संबंध अन्वेषण की प्रकृति और अनुक्रम से हो। इन अर्थों में विस्तार के लिए आवेदन के उसे दिए गए नोटिस के उपरांत जिस अवसर को विधि अनुध्यात कर सकती है वह मामले की व्यावहारिक आवश्यकताओं द्वारा सीमित रखनी होगी। यदि ऐसे विचार्य विषय ध्यान में रखे जाएं तो हमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है जिसके कब्जे में से माल अभिगृहीत किए गए हैं जिससे यह प्रस्थापना की जा सके कि 6 मास की कालावधि में विस्तार किया जाना चाहिए। प्रसामान्य अनुक्रम में, ऐसे व्यक्ति को नोटिस निश्चित रूप से 6 मास की मूल कालावधि की समाप्ति से पूर्व मिल जाना चाहिए। यह सही है कि 6 मास की अतिरिक्त कालावधि जिसके बारे में यह अनुध्यात है कि वह विस्तार की अधिकतम कालावधि होगी एक संक्षिप्त कालावधि है किंतु संसद् ने केवल 6 मास की मूल कालावधि अनुध्यात की है और जब उसने ऐसी कालावधि नियत कर दी है तो यह उपधारणा की जाना आवश्यक है कि उसने इस बात को ध्यान में रखा होगा कि माल के अतिरिक्त समय के लिए अवरोध से उस व्यक्ति को नुकसानी या क्षति या कठिनाई हो सकती है जिसके कब्जे में से कि माल अभिगृहीत किया गया था।

14. हमने यह कहा है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में से माल अभिगृहीत किया गया है उसे नोटिस 6 मास की मूल कालावधि की समाप्ति से पूर्व मिल जाना चाहिए। यह संभव है कि जबकि नोटिस उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व जारी किया जाता है तो यह हो सकता है कि ऐसे नोटिस की तामील पर्याप्त समय के भीतर संबद्ध व्यक्ति पर न की जा सके जिससे कि कलक्टर उस कालावधि के समाप्त होने से पूर्व विस्तार संबंधी आदेश दे सके। नोटिस की तामील इस कारण स्थगित या विलंबित या निष्प्रभावी बनाई जा सकती है कि जिस व्यक्ति पर नोटिस की तामील की जाना ईप्सित है वह नोटिस की तामील से बचने का प्रयत्न करता है अथवा किसी ऐसे अन्य कारणवश जो कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रण से बाहर हो। ऐसी स्थिति में कलक्टर को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता

है कि 6 मास की मूल कालावधि के अतिरिक्त समय में विस्तार करने के लिए तन्निमित्त उसके समक्ष पर्याप्त हेतुक सिद्ध कर दिया गया है और तत्पश्चात् जब संबद्ध व्यक्ति पर नोटिस की तामील कर दी गई हो तो वह विनिश्चय के पश्चात् उसे सुनवाई का अवसर दे सके जिससे कि इस बात का अवधारण किया जा सके कि क्या विस्तार संबंधी आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। माल के अवैध आयात के मामले में लोक हित को पहुंची क्षति की गंभीरता और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए तथा आयात एवं निर्यात आयोजन के विपरीत किए जाने में अंतर्निहित की जाने वाली आर्थिक नीति को नुकसानी पहुंचने के विचार्य विषयों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रभावित व्यक्ति को लोक हित के व्यापकतर विचार्य विषयों के साथ समंजित करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए।

15. हमारा ध्यान **गणेशमल पन्नीलाल गांधी और एक अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर और सहायक कलक्टर, बंगलौर**[1] वाले मामले के प्रति आकृष्ट किया गया है जिसमें मैसूर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है जिसके कब्जे में से माल अभिगृहीत किया जाता है जबकि कलक्टर इस बात पर विचार करना प्रारंभ करता है कि क्या 6 मास की मूल कालावधि में विस्तार किया जाना चाहिए या नहीं। **शेख मोहम्मद सैयद बनाम असिस्टेंट कलक्टर आफ कस्टम्स फार प्रिवेंटिव और अन्य**[2] का अवलंब लिया गया है जो इस दृष्टिकोण पर अग्रसर होता है कि कलक्टर को अपना समाधान केवल सापेक्ष रूप से इस मुद्दे के बारे में कर लेना चाहिए कि क्या विस्तार अपेक्षित है। **करसनदास पपटलाल धनेजा और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य**[3] वाले मामले में उच्च न्यायालय ने एक कानूनी कार्यवाही में 'पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर' शब्दों के उपयोग की विवक्षाओं को परिभाषित किया है। इन मामलों में से कोई भी मामला हमें इस बारे में आश्वस्त नहीं करता कि जिस व्यक्ति के कब्जे में से माल अभिगृहीत किया गया है वह कालावधि में विस्तार करने संबंधी प्रस्थापना की बाबत नोटिस का हकदार नहीं है।

16. हमारी राय में, जिस व्यक्ति के कब्जे से माल अभिगृहीत किया गया है वह सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 110(2) में वर्णित 6 मास की मूल कालावधि में विस्तार किए जाने के लिए सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष प्रस्थापना संबंधी नोटिस का हकदार है और वह इस बात का भी हकदार है कि ऐसी प्रस्थापना के बारे में उसकी सुनवाई की जाए किंतु यह इस बात के अधीन रहते हुए कि अन्वेषण कार्यवाहियों के संबंध में गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता के बारे में पहले निर्दिष्ट निर्बंधन बने रहेंगे।

17. तदनुसार, अपील मंजूर की जाती है और जिस विस्तार तक हमने अपने निर्णय में उल्लेख किया है उच्च न्यायालय के आदेश उपांतरित किए जाते हैं किंतु खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील मंजूर की गई।

ज०

---

[1] ए० आई० आर० 1968 मैसूर 89.

[2] ए० आई० आर० 1970 कलकत्ता 134.

[3] (1981) ई० एल० टी० 268.